भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3268

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

ईएसआईसी घोटाला

3268. श्री बंदी संजय कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ईएसआईसी घोटाले जैसे घोटाले को रोकने के लिए गंभीर है जिसका हाल ही में तेलंगाना राज्य में पर्दाफाश हुआ था और यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) वास्तविक रूप से ईएसआईसी तेलंगाना घोटाला किस हद तक हुआ है और घोटाले में शामिल लोगों/एजेंसियों के नामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषियों के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): तेलंगाना में राज्य सरकार द्वारा संचालित ईएसआईसी अस्पतालों के लिए दवाइयों की खरीद में विसंगति पर छपे एक समाचार लेख और इसके परिणामस्वरूप समाचार-पत्र में प्रकाशित एक अधिकारी की गिरफ्तारी की सूचना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), नई दिल्ली को दी गई है। मामला राज्य सरकार से संबंधित है और राज्य सरकार की जांच के अधीन है।

ईएसआईसी समय-समय पर, सामान्य वित्तीय नियमों के अनुपालन सहित ईएसआईसी दर संविदा/ राज्य संविदा के माध्यम से दवाओं की खरीद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को दिशानिदेश जारी करता है।

******